

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून

पत्रांक - 2377/उ0ख0(ईनि)/प्रेस नो0/भू0ख0नि0नि0/2025-26

दिनांक : 24.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई-रवन्ना जारी करने की व्यवस्था लागू

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1910/VII - A - 1/2025-08(02)/2023, दिनांक 24 जुलाई, 2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश/रोकथाम लगाये जाने/ ई-रवन्ना प्रपत्रों का दुरुप्रयोग रोकने तथा राजस्व हित में खनिजों के परिवहन हेतु पूर्व में साधारण पेपर पर ई-रवन्ना प्रपत्र प्रिन्ट/ निर्गत किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 प्रपत्र "जे" प्रपत्र "एन" एवं प्रपत्र "के" को प्रिन्ट कर प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की जा रही है। उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर पर जारी ई-रवन्ना प्रपत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के किसी भी पेपर में जारी ई-रवन्ना प्रपत्र अवैध माने जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति निगम कार्यदायी संस्था, पट्टाधारक/ अनुज्ञाधारक/ रिटेल भण्डारणकर्ता/ स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/ हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लांट/ पल्वराईजर प्लांट स्वामी एवं खनिज परिवहन में लगे वाहन स्वामियों आदि के द्वारा उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर के अतिरिक्त अन्य पेपर में ई-रवन्ना का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त विशेष प्रकार सिक्योरिटी फीचर युक्त ई-रवन्ना 03 प्रतियों में निर्गत किया जायेगा, जिसकी 01 प्रति ई-रवन्ना प्रपत्र निर्गतकर्ता के पास रहेगी, 02 प्रति वाहन चालक के पास रहेगी, जिसमें से वाहन चालक के द्वारा 01 प्रति चैक पोस्ट पर मांगे जाने तथा 01 प्रति क्रेता को दी जायेगी।

उक्त के क्रम में समस्त निगमों, कार्यदायी संस्थाओं, पट्टाधारकों/ अनुज्ञाधारकों/ रिटेल भण्डारणकर्ताओं/ स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/ हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लांट/ पल्वराईजर प्लांट स्वामियों आदि को निर्देशित किया जाता है कि खनिजों के परिवहन हेतु दिनांक 06 अगस्त 2025 से ई-रवन्ना प्रपत्रों हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अनिवार्यतः उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित करते हुए किसी भी दशा में साधारण पेपर पर प्रिन्टेड ई-रवन्ना प्रपत्रों को प्रचलन में न लाया जाय तथा खनिजों के परिवहन हेतु नई व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले ई-रवन्ना हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अविलम्ब विभागीय वेबसाइट dgmappl.uk.gov.in पर लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(राजपाल लेघा) निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून
E-mail ID- dir.ukdgm@gmail.com

संख्या: 2377/उ.ख. (ईनि)-V/प्रेस नो./भू.ख.नि.नि./2025-26

दिनांक 24/07/2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06 अगस्त 2025 से सम्पूर्ण राज्य में खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई-रवन्ना जारी करने की व्यवस्था लागू

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1910/VII-A-1/2025-08(02)/2023, दिनांक 24 जुलाई, 2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश /रोकथाम लगाये जाने/ ई-रवन्ना प्रपत्रों का दुरुप्रयोग रोकने तथा राजस्व हित में खनिजों के परिवहन हेतु पूर्व में साधारण पेपर पर ई-रवन्ना प्रपत्र प्रिन्ट/निर्गत किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11, प्रपत्र "जे", प्रपत्र "एन" एवं प्रपत्र "के" को प्रिन्ट कर प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की जा रही है। उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर पर जारी ई-रवन्ना प्रपत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के किसी भी पेपर में जारी ई-रवन्ना प्रपत्र अवैध माने जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति, निगम, कार्यदायी संस्था, पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट/पल्वराईजर प्लांट स्वामी एवं खनिज परिवहन में लगे वाहन स्वामियों आदि के द्वारा उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर के अतिरिक्त अन्य पेपर में ई-रवन्ना का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त विशेष प्रकार सिक्योरिटी फीचर युक्त ई-रवन्ना 03 प्रतियों में निर्गत किया जायेगा, जिसकी 01 प्रति ई-रवन्ना प्रपत्र निर्गतकर्ता के पास रहेगी, 02 प्रति वाहन चालक के पास रहेगी, जिसमें से वाहन चालक के द्वारा 01 प्रति चैक पोस्ट पर मांगे जाने तथा 01 प्रति क्रेता को दी जायेगी।

उक्त के क्रम में समस्त निगमों, कार्यदायी संस्थाओं, पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों/रिटेल भण्डारणकर्ताओं/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट/पल्वराईजर प्लांट स्वामियों आदि को निर्देशित किया जाता है कि खनिजों के परिवहन हेतु दिनांक 06 अगस्त, 2025 से ई-रवन्ना प्रपत्रों हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अनिवार्यतः उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित करते हुए किसी भी दशा में साधारण पेपर पर प्रिन्टेड ई-रवन्ना प्रपत्रों को प्रचलन में न लाया जाय तथा खनिजों के परिवहन हेतु नई व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले ई-रवन्ना हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अविलम्ब विभागीय वेबसाईट dgmappl.uk.gov.in पर लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

**भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन", भोपालपानी, देहरादून
(E-mail id - dir.ukdgm@gmail.com)**

संख्या: 2377/उ०ख०(ईनि)- V / प्रेस नो० / भू०खनि०नि० / 2025-26,

दिनांक: 24 जुलाई, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई- रवन्ना जारी करने की व्यवस्था लागू सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग - 1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1910 / VII-A-1/2025-08(02)/ 2023, दिनांक 24 जुलाई, 2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश / रोकथाम लगाये जाने / ई - रवन्ना प्रपत्रों का दुरुप्रयोग रोकने तथा राजस्व हित में खनिजों के परिवहन हेतु पूर्व में साधारण पेपर पर ई- रवन्ना प्रपत्र प्रिन्ट / निर्गत किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई- रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11, प्रपत्र "जे", प्रपत्र "एन" एवं प्रपत्र "के" को प्रिन्ट कर प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की जा रही है। उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर पर जारी ई- रवन्ना प्रपत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के किसी भी पेपर में जारी ई - रवन्ना प्रपत्र अवैध माने जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति, निगम, कार्यदायी संस्था, पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक / रिटेल भण्डारणकर्ता / स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट / मोबाईल स्टोन क्रेशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट / हॉट मिक्स प्लांट / रेडिमिक्स प्लांट / पल्वराईजर प्लांट स्वामी एवं खनिज परिवहन में लगे वाहन स्वामियों आदि के द्वारा उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर के अतिरिक्त अन्य पेपर में ई- रवन्ना का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त विशेष प्रकार सिक्योरिटी फीचर युक्त ई- रवन्ना 03 प्रतियों में निर्गत किया जायेगा, जिसकी 01 प्रति ई- रवन्ना प्रपत्र निर्गतकर्ता के पास रहेगी, 02 प्रति वाहन चालक के पास रहेगी, जिसमें से वाहन चालक के द्वारा 01 प्रति चैक पोस्ट पर मांगे जाने तथा 01 प्रति क्रेता को दी जायेगी।

उक्त के क्रम में समस्त निगमों, कार्यदायी संस्थाओं, पट्टाधारकों / अनुज्ञाधारकों / रिटेल भण्डारणकर्ताओं / स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट / मोबाईल स्टोन क्रेशर / मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट / हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट / पल्वराईजर प्लांट स्वामियों आदि को निर्देशित किया जाता है कि खनिजों के परिवहन हेतु दिनांक 06 अगस्त, 2025 से ई - रवन्ना प्रपत्रों हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अनिवार्यतः उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित करते हुए किसी भी दशा में साधारण पेपर पर प्रिन्टेड ई- रवन्ना प्रपत्रों को प्रचलन में न लाया जाय तथा खनिजों के परिवहन हेतु नई व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले ई-रवन्ना हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अविलम्ब विभागीय वेबसाइट dgmappl.uk.gov.in पर लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(राजपाल लेघा)
निदेशक